

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ला दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 78/2025

गुरकीरत सिंह बराड़ पुत्र श्री हरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी ढोलनगर
तहसील संगरिया हाल आबाद दिओनखेडा तहसील मलोट जिला श्रीमुक्तसर
साहिब (पंजाब)

-वादी

बनाम्

1. हरचरण सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी ढोलनगर तहसील
संगरिया हाल आबाद दिओनखेडा तहसील मलोट जिला श्रीमुक्तसर साहिब
(पंजाब)
2. हरप्रीत कौर पुत्री श्री हरचरण सिंह पत्नी श्री आतमजीत सिंह जाति जटसिख
निवासी ढोलनगर तहसील संगरिया हाल आबाद दुसहन तहसील व जिला
करनाल (हरि.)
3. कर्मप्रीत कौर पुत्री श्री हरचरण सिंह पत्नी श्री जगजोत सिंह जाति जटसिख
निवासी ढोलनगर तहसील संगरिया हाल आबाद कोरसिंह वाला तहसील
गुरुहरसहाय जिला फिरोजपुर (पंजाब)
4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तहसील संगरिया।

-प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से :- श्री गुरमीत सिंह कलसी, एडवोकेट
प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से :- श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल, एडवोकेट

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 25.3.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक(आर.ए.एस.) के समक्ष
वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री गुरमीत सिंह कलसी वकील
वादीगण मिन जामिन मुदई तथा श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल वकील प्रतिवादी
सं. 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह
डिक्री दी जाती है कि चक 4 के.एस.डी. के खाता सं. 86/14 खाता स्वर्ण

लगातार --2

महायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सिंह वगैरा जमाबन्दी सम्बन्ध 2070-73 (जमाबन्दी 2078) में दर्ज कुल 7.7370 है. आराजी में से प्रतिवादी सं. 1 हरचरण सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा यानि 3.8685 है. आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अतः इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर उक्त चक के उक्त खाता में से प्रतिवादी सं. 1 हरचरण सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह का नाम कलमजन किया इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

निज निल मुब्लिक निल बाबत
..... निल खर्चा मुकदमें के मयथुद वा शरह फीसदी सालाना
आज की तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।



बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 25.3.2021 को जारी किया जाता है।

(जय कौशिक)
सहायक वसूलकर्ता एवं
उपखण्ड अधीक्षक (राजस्व),
संगरिया